टेन्डर - नोटिस

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी); प्रथम,उ0प्र0;
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of The Accountant General (A.& E.) -1,U.P.;
इलाहाबाद / Allahabad

पत्र सं0–सा0प्र0(मु0) / लेखा– I / अग्निशमन यन्त्र / 66

दिनांक: 24.04.2014

विषय:– अग्निशमन यन्त्रों की आपूर्ति के सम्बन्ध में।

इस कार्यालय में निम्नलिखित अग्निशमन यन्त्रों की आपूर्ति संलग्न नियम एवं शर्तो के अन्तर्गत कराये जाने की आवश्यकता है जिसका विवरण इस प्रकार है:–

(i) ABC Type 6 kg. Capacity Fire Extinguisher Make-Ceas Fire, Minimax, Safex
(ii) CO2 Type 4.5 kg. Capacity Fire Extinguisher Make-Ceas Fire, Minimax, Safex
(iii) CO2 Type 2 kg. Capacity Fire Extinguisher Make-Ceas Fire, Minimax, Safex
(iv) Fire Bucket with stand
(v) Fire Bucket stand with shed

उक्त अग्निशमन यन्त्रों की आपूर्ति हेतु अपनी दरें दिनांक 29.4.2014 को समय सायंकाल 3.00 बजे तक अद्योहस्ताक्षरी के कक्ष में रखें बाक्स में सील बन्द लिफाफे में प्रेषित करने का कष्ट करें। कोटेशन के साथ रू0 10000/– का बैंक ड्राफ्ट/ बैंक गारण्टी/टी0 डी0 आर0 धरोहर धनराशि के रूप में लगाना अनिवार्य होगा। यह भी उल्लेखनीय हे कि संलग्नक में दी गयी शर्तो की पूर्ति करने वाली फर्मो की दरें ही स्वीकृति होगी।

इस कार्य हेतु पूर्व में यदि किसी फर्म द्वारा बैंक ड्राफ्ट/ बैंक गारन्टी/टी0डी0आर0 इस कार्यालय में जमा किया गया है तो उस फर्म को बैंक ड्राफ्ट/ बैंक गारन्टी/ टी0डी0आर0 संलग्न नही करना है।

संलग्नक– यथोपरि

भवदीय

24/4/2014

लेखाधिकारी / सा0प्र0(मु0)

1998

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर–प्रदेश, इलाहाबाद

अग्निशमन यन्त्रों की आपूर्ति से सम्बन्धित शर्ते

1. आवेदन कर्ता द्वारा निम्न का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है।
   - (i) पंजीकरण नम्बर (छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है)
   - (ii) पैन नम्बर(छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)
   - (iii) लेबर लाइसेन्स नम्बर (छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)
   - (iv) टिन नम्बर (छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है)
2. आपूर्ति किये जाने वाले अग्निशमन यन्त्र **ISI** मानक के होने चाहिए तथा पत्र में उल्लिखित ब्राण्ड (सीज फायर, मिनिमेक्स, सेफेक्स) की दरों का ही उल्लेख किया जाये।
3. किसी संस्था कार्यालय में किये गये कार्य का अनुभव प्रमाण ।
4. अग्निशमन यन्त्रों की जॉच कार्योपरान्त अग्निशमन विभाग से कराना होगा।
5. कार्योपरान्त अग्निशमन विभाग द्वारा निर्गत संतोषजनक रूप से "कार्य सत्यापित" प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जायेगा।
6. बिना कोई कारण बताये प्राप्त समस्त कोटेशन अथवा किसी भी कोटेशन को स्वीकृत/ अस्वीकृत करने का अधिकार उप महालेखाकार/प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।
7. किसी विवाद की स्थिति में इस कार्यालय का निर्णय अन्तिम होगा जो समस्त फर्मो को मान्य होगा।
8. सफल फर्म को आपूर्ति आदेश में अंकित धनराशि का 10 (दस) प्रतिशत इस कार्यालय के वेतन एवं लेखाधिकारी के पक्ष में बैंक गारण्टी/टी0 डी0 आर0 प्रतिभूति धनराशि के रूप में जमा करना होगा, जिसे आपूर्ति की गई सामग्री की वारण्टी अवधि समाप्त होने के उपरान्त वापस किया जायेगा।
9. आपूर्ति किये जाने वाले अग्निशमन यन्त्रों की वारण्टी अवधि एवं उनके देखरेख के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख करना होगा।
10. जिस फर्म की दरें स्वीकृत होगी, उसे आपूर्ति आदेश निर्गत करने की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर सामग्रियों की आपूर्ति करना होगा अन्यथा आपूर्ति आदेश के 01 (एक) प्रतिशत की धनराशि प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड के रूप में वसूल की जायेगी तथा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

27/9/2012

लेखाधिकारी/सामान्य प्रशासन